राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक प॰ 4 (2) कार्मिक/क–4/16 जयपुर, दिनांक : 12-08-16

–:आज्ञा:–

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में श्री जगमोहन सिंह के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 में आरोप पत्र दिनांक 27.02.2003 लम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प॰ 1(56)कार्मिक/क–3/1999 दिनांक 27.07.2016 के द्वारा उक्त विभागीय जांच का प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप श्री जगमोहन सिंह के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री जगमोहन सिंह को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री जगमोहन सिंह को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में श्री जगमोहन सिंह का नाम श्री विनोद कुमार पारीक के नीचे एवं श्री केदार मल गुप्ता के ऊपर आएगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राज. जयपुर।
2. सचिव(प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी।
10. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव